ालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज केदार बनाम सीताराम मु. सं. 74/2024 T.I.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं० 2,4,11 व 12 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.07.24 से की गई किन्तु उपस्थित नहीं आये। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस प्रा० पत्र T.I. दिनांक 09.10.24 को पेश हो। Manjeet उपखण्ड अधिकारी महवा (दौसा)	
09.10.24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 14.10.24 को पेश हो। Manjeet उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा दिनांक 14.10.24 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.10.24 को पेश हो। रीडर	
16.10.24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कीर्तिनगला तहसील महुवा की आराजी ख० नं० 303/448, 358, Manjeet उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज केदार बनाम छीतरया मु. सं. 74/2024 प्र.पत्र T.1
	69/416 व 73/421 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 हैक्टर का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दर्ज रिकार्ड है जिसपर हिस्सानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी की आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 की हर समय कब्जा करने की नियत रहती है विधिवत बंटवारे से साफ इन्कार कर दिया है एवं निर्माण करने की कहा। यदि अप्रार्थी अपनी अस कुचेष्ठा में सफल हो जाता तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं० 2, 4, 11 व 12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी सं० 01, 3, 5 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज करने का निवेदन किया। हमने नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-74 का अवलोकन किया और पाया गया कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी केदार पुत्र दुल्या जाति जोगी सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में 1/4 भाग का खातेदार है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो

Manish
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

...य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज कैलाश बनाम सीताराम मु. सं. 74/2024 प्रा.नि.T.I.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर कब्जा कर सकते है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम कीर्तिनंगला तहसील महवा की आराजी खं० नं० 303/448 रकबा 0.13, 358 रकबा 0.09, 69/416 रकबा 0.16 व 73/421 रकबा 0.27 है० कुल किता 4. कुल रकबा 0.65 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नही करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाय रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद रहे। आदेश सुनाया गया। Manish उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	